पूर्वोत्तर रेलवे

कार्यालय
उप0 मुख्य / इन्जी0 / नि0 / वारा0
पूर्वोत्तर रेलवे

पत्र सं. डब्लू / 247 / उप0 मु.ई. / नि0 / I / वारा0

दिनांकः 01.09.2022

सेवा में,

प्रभागीय निदेषक
सामाजिक वानिकी प्रभाग,जौनपुर

विषयः– पूर्वोत्तर रेलवे औंडिहार– जौनपुर रेलवे सेक्शन के अन्तर्गत रेलवे ट्रैक के दोहरीकरण में जनपद गाजीपुर (कि.मी. सं0 1.90 से 10.90 तक) में प्रभावित 6.50572 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं 09 वृक्षों / पौधों के पातन तथा जनपद जौनपुर में (किमी 10.90 से 57.400 तक) प्रभावित 43.41704 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 1337 वृक्षों / पौधों के पातन की अनुमति अर्थात कुल प्रभावित 49.92276 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक कुल 1346 वृक्षों / पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संन्दर्भः–पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार का पत्रांक सं0 8बी / यू0पी0 / 07 / 118 / 2021 / एफ0सी0 / 256 दिनांक 18 / 07 / 2022 एवं आपका पत्रांक सं0 246 / 14–16 दिनांक 20 / 07 / 2022

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के परिप्रेक्षेय में बिन्दुवार आख्या निम्नवत है।:–

क्र.स.	आपत्ति	निस्तारण
1.	From the examination of area calculation statement, it seems that only 6.8 meters width (LHS) of area has been considered for calculation of the area proposed for diversion, while the remaining area falling in the Row which might have been used for signalling and other ancillary facilities/components has not been accounted for estimating the total area. Width of 6.8 meter may be required only for the formation of railway track while requirement of other ancillary components/structures may also involve forest area and may be taken into consideration for the estimating the exact area required for doubling the track.	पूर्वोत्तर रेलवे के औंडिहार–जौनपुर खण्ड में रेलवे दोहरीकरण कार्य के लिए संरक्षित वन भूमि की आवश्यकता 6.80 मी0 चौड़ाई में ही है। प्रायः सिगनल केबल के लिए ट्रैन्च फार्मेशन के टो के पास ही 1.00 मी0 से अधिक गहराई में खोदकर Underground केबल डाली जाती है तथा केबल डालने के पश्चात उक्त भूमि का प्रयोग रेलवे गैर वानिकी कार्यो में नही करती है। केवुल डालने के पश्चात उस भूमि का प्रयोग वानिकी से सम्बन्धित कार्यो में ही होता है। सिग्नल पोस्ट और अन्य पोस्ट ट्रैक के Embankment अर्थात गैर वानिकी प्रयोग हेतु मॉगी गयी 6.80 मी0 चौड़ाई के अन्तर्गत ही लगाये जाते है। यार्ड मे बिल्डिंग एवं अन्य के लिये अतिरिक्त जमीन की आवश्कता होती है उसके लिए समस्त यार्डो में अतिरिक्त भूमि की गणना को प्रस्ताव में लिया गया है।

2.	It is mentioned that proposal has 1337 project affected trees. Tree enumeration list has also been submitted. Given the fact that considerable forest area of 38.91 ha. has already been used by the user agency unauthorizedly for construction of railway line where tree felling must be taken by user agency, it needs clarification whether 1337 trees will be felled in the remaining virgin area of 11.012 ha. or otherwise.	38.91 हे0 संरक्षित वन भूमि जिस पर रेलवे द्वारा कार्य किया जा चुका है, के सम्बन्ध में अवगत हो कि जितने भी बाधक वृक्षों को आवेदन में लिया गया है, उन्हें काटा नही गया है। बाधक वृक्षों के लिये 6.80 मी0 के अलावा लगभग 3–4 मी0 अतिरिक्त चौड़ाई तक (संरक्षा एवं सुरक्षा के दृष्टिकोण से) की भूमि के पेडो की गणना को सर्वे में लिया गया है। उक्त बाधक वृक्षों को स्टेज–1 का अनुमोदन मिलने के बाद ही नियमतः कटवाए जायेगे।
3.	Since unauthorized construction of railway line has already taken place, it needs to be ensured that muck generated from earth cutting needs to be disposed off in a scientific manner to avoid destruction of nearby forest area. Detailed muck calculation and muck disposal scheme as approved by concerned DFO needs to be submitted.	औंडिहार – जौनपुर के मध्य दोहरीकरण कार्य किया जाना है जिसके अन्तर्गत दूसरा ट्रैक विछाने के लिये संरक्षित वन भूमि के 6.80 मी0 चौडाई तक अतिरिक्त मिट्टी Embankment बनाने के दिये डाली जाती/गयी है। यह मिट्टी बाहर से लायी गयी/जानी है। खुदाई का कार्य स्टेशन यार्डो में भवनों में नींव कार्य के लिये ही किया गया है। नींव कार्य में जो मिट्टी निकलती है उसे उसी बिल्डिंग के फर्श बनाने के लिए प्लिन्थ में डाल दिया गया/जाना है। कोई भी मक अलग से डिस्पोज नहीं किया जाना है।
4.	In accordance with guidelines dated 10.03.2022, it needs to be clarified and relevant documents needs to be produced if the area proposed for diversion is railways owned land within railways RoW.	यह प्रोजेक्ट दोहरीकरण कार्य के लिये किया जाना है। वर्तमान में इकहरी ब्रॉड गेज लाइन चल रही है, उसके पूर्व में मीटर गेज की लाइन चल रही थी। अतः औंडिहार–जौनपुर खण्ड में रेलवे लाइन के दोनों तरफ विभिन्न चौड़ाई में जमीन का स्वामित्व रेलवे के पास ही है। यहाँ यह सत्यापित किया जाता है कि गैर वानिकी प्रयोग हेतु मॉगी गयी संरक्षित वन भूमि पर रेलवे का ही स्वामित्व है। साथ में नक्शे की तीन प्रति (B&NWR) संलग्न की जा रही है जो कि ब्रिटिश शासन काल के समय की है।

(पी.के.मिश्रा)
अवर अभियन्ता/कार्य/निर्माण/
पूर्वोत्तर रेलवे वाराणसी